

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-1
संख्या—1662 / 9—आ—1—2000
लखनऊ दिनांक : 10 अप्रैल, 2000

कार्यालय ज्ञाप

शासन स्तर पर प्रदेश के विभिन्न नगरों की अवस्थापना सुविधाओं के नियोजन, विकास एवं रखरखाव के 'ब्लू-प्रिन्ट' तैयार करवाकर उनका क्रियान्वयन, समीक्षा तथा सम्बन्धित विभिन्न विभागों में आपसी सामंजस्य एवं शासन की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या—973 / 9—आ—1—2000, दिनांक 28—2—2000 के द्वारा गठित समिति की सहायता के लिये कार्यालय ज्ञाप संख्या—1386 / 9—आ—2000, दिनांक 25—3—2000 के द्वारा एक समिति गठित की गयी थी। उक्त कार्यालय ज्ञाप में आंशिक संशोधन करते हुये समिति का पुर्णगठन निम्नानुसार किया जाता है :—

- | | |
|---|-----------------|
| (i) मण्डलायुक्त, मण्डल मुख्यालय नगरों में (उन नगरों को छोड़कर जहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा
के सुपर टाइम स्केल का अधिकारी प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के पद पर पदस्थ हैं) | अध्यक्ष |
| (ii) जिलाधिकारी | अध्यक्ष / सदस्य |
| (iii) उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण | अध्यक्ष / सदस्य |
| (iv) मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम / अधिशासी अभियन्ता, नगर पालिका परिषद | सदस्य |
| (v) जल निगम के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता | सदस्य |
| (vi) लोक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता | सदस्य |
| (vii) परियोजना निदेशक, डूड़ा | सदस्य |

मण्डल मुख्यालय नगरों में मण्डलायुक्त उन नगरों को छोड़कर जहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल का अधिकारी प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के पद पदस्थ है, ऐसे नगरों में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष समिति के अध्यक्ष होंगे तथा अन्य में क्रमांक—(ii) व (iii) में जो भी वरिष्ठ हो, समिति का अध्यक्ष होगा। समिति का विषय क्षेत्र निम्न होगा :—

1. नगर विकास से सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं तथा समेकित विकास की प्राथमिकताएँ तय कराना तथा उनके 'ब्लू-प्रिन्ट' तैयार करवाना।
2. नगर में स्थित लोक निर्माण विभाग की सङ्कों के विकास एवं सुधार का ब्लू-प्रिन्ट तैयार करवाना।
3. डूड़ा की विभिन्न योजनाओं की विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम / नगरपालिका की योजनाओं के साथ डबटेलिंग।
4. नगर स्तर पर नगर की अवस्थापना के विकास से सम्बन्धित भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में आपसी सामंजस्य।
5. कार्यालय ज्ञाप संख्या 973 / 9—आ—1—2000, दिनांक 28—2—2000 द्वारा गठित समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या—1662 (1) / 9—आ—1—2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समिति समस्त सदस्य।
4. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
5. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।